01. उनवान

01

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

उक्त वाद/प्रार्थना पत्र/अपील का निर्णय/निस्तारण दिनांक 20.7.2022...... को किया जा चुका है।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा(खैरथल–तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
433 / 2022	09-09-2022	20/07/2023

उनवान

01. अमरसिंह पुत्र खेमचन्द जाति मेघवाल निवासी ग्राम हसनपुर माफी तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

-----:: वादी

बनाम

01. राज्य सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार, तिजारा जिला अलवर (राज0)

------:: प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित

01. श्री कुलदीप आहूजा एडवोकेट (वादीगण)

–:: निर्णय ::–

प्रकरण में सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 586 रकबा 23 बीघा व 557 रकबा 3 विस्वा वाके ग्राम हसनपुर माफी तहसील तिजारा में स्थित है। जिसके हाल आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 23 बीघा 3 विस्वा पैमुद किये गये है। वर्णित आराजी इस वाद में विवादित आराजी कहलावेगी। साविक आराजी खसरा नम्बर 586 रकबा 23 बीघा, जिसके हाल आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 23 बीघा 3 विस्वा है, में से अन्य आराजीयात के साथ साथ साबिक आराजी खसरा नम्बर 586 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा रकबा की खातेदारी जरिये सनद पट्टा संख्या 625 दिनांक 30.01.1983 को तहसीलदार कम मैनेंजिग आफिसर, तिजारा द्वारा मिन वादी के नाम जारी कर दिया गया व खातेदारी हकूक प्रदान कर दिये गये। जिसका नामान्तकरण संख्या 251 भी मिन वादी के पिता खेमचन्द पुत्र श्योजी के नाम दर्ज व मंजूर हो गया। मिन वादी के पिता खेमचन्द पुत्र श्योजी का नाम बतौर खातेदार काश्तकार का अमल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में कर दिया गया। मिन वादी का पिता श्री खेमचन्द अपने जीवनकाल में काबिज व दाखिल रहा है। मिन वादी के पिता खेमचन्द का देहान्त हो गया है। पिता खेमचन्द के मरने के बाद मिन वादी, उसका विधिक वारिस आराजी पर काबिज व दाखिल चला आ रहा है तथा मौके पर मिन वादी का अपनी आराजी पर वास्तविक कब्जा है। हाल आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 23 बीघा 3 विस्वा में से 1 बीघा 5 बिस्वा रकबा सतेन्द्र पुत्र फूलसिंह को आवंटित कर पट्टा दिया गया था परन्तु सतेन्द्र पुत्र श्री फूलसिंह के नामान्तकरण संख्या 330 में पटवारी हल्का की गलती से रकबा 23 बीघा 03 बिस्वा रकबा दर्ज कर दिया। जिस कारण से मिन वादी के पिता श्री खेमचन्द के नामान्तकरण संख्या 251 का अमल राजस्व रिकार्ड से हटा दिया गया। तत्पश्चात

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०

सतेन्द्र पुत्र श्री फूलसिंह द्वारा अपने नामान्तकरण संख्या 330 की अपील माननीय श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय अलवर के आदेश से सतेन्द्र पुत्र फूलसिंह के नामान्तकरण संख्या 330 में हाल आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 23 बीघा 3 बिस्वा में से 1 बीघा 5 बिस्वा शुद्व कर सतेन्द्र पुत्र फूलसिंह के नाम 1 बीघा 5 बिस्वा का दर्ज कर दिया गया परन्तु मिन वादी के पिता श्री खेमचन्द का अंकन प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा बहाल नहीं किया गया है तथा उक्त आराजी के गलत रूप से चार नम्बर हाल आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 4.79 है0 व 486/692 रकबा 0.25 है0, 486/697 रकबा 0.40 है0, 486/709 रकबा 0.40 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.05 है0 दर्ज कर दिये। जबकि उक्त भूमि में गलत रूप से अंकन गैरखातेदारान वगे. तीस घर दर्ज कर दिया। जो अंकन उपरोक्त अनुसार गलत दर्ज चला आ रहा है। जो खिलाफ मौका, खिलाफ रिकार्ड है, जो मिन वादी के हकूकों के खिलाफ आरम्भ से ही बातिल वो बेअसर है, नाकाबिले पाबन्दी है। जिसे मिन वादी इसी कदर बातिल वो बेअसर करार दिलाकर विवादित आराजी के 1 बीघा 12 बिस्वा के खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है तथा गलत को दुरूस्त कराकर विधि विरूद्व तरीके से पैमुद किये गये बंटे नम्बरो को हटवाकर हाल आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 23 बीघा 3 बिस्वा यानि 5.84 है0 में से 1 बीघा 12 बिस्वा का खातेदार काश्तकार जरिये पट्टा संख्या 625 व नामान्तकरण संख्या 251 के अनुसार इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली की गई। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र अमरसिंह पुत्र खेमचन्द जाति मेघवाल निवासी ग्राम हसनपुर माफी तहसील तिजारा जिला अलवर, मनोहरलाल पुत्र गिरधारी जाति मेघवाल निवासी ग्राम हसनपुर माफी तहसील तिजारा जिला अलवर पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किये गये।

वादी अपनी दौराने अपनी बहस वाद के तथ्यों को दौहराया गया है। वादी के वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

यह कि प्रकरण में निम्न तनकीयात कामय की गई।

तनकी नम्बर 1 – आया वादी मुताबिक सनद पट्टा व नामान्तकरण, आराजी का खातेदार है, जो इसी कदर स्वयं को खातेदार घोषित कराकर अपने नाम का अंकन कराने का अधिकारी है।

— **जिम्मे वादी**

तनकी नम्बर 2 – आया वादी, प्रतिवादी को जरिये डिक्री हु0ई0 दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी है।

— **जिम्मे वादी**

तनकी नम्बर 3 – आया वादी का वाद काबिले खारिज है।

तनकी नम्बर 4 – अनुतोष।

— **जिम्मे प्रतिवादी**

यह कि वादीगण को जरिये सनद पट्टा भूमि आवंटित की जाकर नामान्तकरण संख्या मंजूर किया गया है। जिसका अमल भी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में कर दिया गया। परन्तु माननीय अतिरिक्त जिला

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0

कलक्टर महोदय, के यहां दीगर इंतकाल संख्या 330 की अपील होने से व निर्णय होने से उपरोक्त राजस्व रिकार्ड से वादीगण के नाम का अंकन हटा दिया गया। नामान्तकरण संख्या 330 का कोई संबंध व सरोकार वादीगण की आराजी से नहीं है एवं ना ही माननीय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय के निर्णय से वादीगण का रकबा प्रभावित होता है परन्तु पटवारी हल्का की गलती से वादीगण का अंकन सहवन से हटा दिया गया। प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब में किसी प्रकार का विरोधाभाषी कथन वाद के विपरित में नहीं कहा अपितु वाद में जारी सनद पट्टा व राजस्व रिकार्ड की पुष्टि की है एवं यह अंकित किया है कि राजकीयहित प्रभावित नहीं है जिस कारण से वादी का वाद डिकी किये जाने योग्य पाया जाता है। तनकी संख्या 1 पूर्णतया वादी के पक्ष में साबित है चूंकि प्रतिवादी राज्य सरकार है इसलिए तनकी संख्या 2 की बाबत कोई अनुतोष वादीगण को नहीं दिया जा सकता।

अतः वादी का वाद डिकी किया जाकर वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 4.79 है0 व 486/692 रकबा 0.25 है0, 486/697 रकबा 0.40 है0, 486/709 रकबा 0.40 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 5.05 है0 वाके ग्राम हसनपुर माफी तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) में मुताबिक सनद पट्टा 625 व नामान्तकरण संख्या 251 के अनुसार 1 बीघा 12 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पर्चा डिकी जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर
433 / 2022

तारीख दायर
09—09—2022

तारीख फैसला
20/07/2023

उनवान

1. अमरसिंह पुत्र खेमचन्द जाति मेघवाल निवासी ग्राम हसनपुर माफी तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

———:: वादी

बनाम

. राज्य सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार, तिजारा जिला अलवर (राज0)

———:: प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज वो हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री कुलदीप आहूजा एडवोकेट (वादीगण)

—:: पर्चा डिक्री ::—

आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 4.79 है0 व 486/692 रकबा 0.25 है0, 486/697 रकबा 0.40 /709 रकबा 0.40 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.05 है0 वाके ग्राम हसनपुर माफी तहसील जिला अलवर (राजस्थान) में मुताबिक सनद पट्टा 625 व नामान्तकरण संख्या 251 के अनुसार 1 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद वें।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)